कुडली पंचायत में वर्षों बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया

फागी, (निसं)। उपखंड के ग्राम पंचायत कुडली में कई वर्षों से अतिक्रमण हो रखा था, जिसकी सूचना पर शुक्रवार को अवैध अतिक्रमण को फागी पंचायत समिति विकास अधिकारी नारायण सिंह के नेतृत्व में गठित ग्राम पंचायत टीम व पुलिस जाब्ता द्वारा हटाया गया।

विकास अधिकारी नारायण सिंह ने बताया कि कुंडली में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सामने पड़ी चरागाह भूमि में अतिक्रमणकारियों ने बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर रखे थे, जो कि पूर्व में ग्रेवल सड़क फुटलिया नाडे की ओर रास्ता पश्चिम में पंचायत की तीन दुकान व लोहारों के घर तक उत्तर में कुम्हारो के खेतों तक दक्षिण में डामर सड़क मैन्दवास रोड तक ही रखे को अतिक्रमण हटवाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उपस्थिति अधिकारी कर्मचारी व ग्राम पंचायत के व्यक्तियों तहसीलदार नायब तहसीलदार भू-अभि.निरीक्षक गिरदावर हल्का पटवारी थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव जाब्ता सहित विकास अधिकारी नारायण सिंह सहायक विकास अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी मुकलेश खटीक पूर्व सरपंच रामकरण जांगिड़ बीरदा राम गुर्जर सहित अन्य ग्राम के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिक्रमण हटवाने पर ग्राम विकास अधिकारी मुकलेश खटीक का ग्रामवासियों ने उनके कार्य की सराहना की।

फागी पंचायत समिति विकास अधिकारी नारायण सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने अतिक्रमण हटाया।

कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला किया

निवाई। गांव कनेसर में शुक्रवार को राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया जिससे मोर जख्मी हो गया। ग्रामवासी सुरेश यादव, सुनीता यादव एवं लालाराम सैनी, हेमराज सैनी ने कुत्तों से मोर को छुडवाया। ग्रामीण सुरेश यादव ने मोर के घायल होने की सूचना वन्यजीव प्रेमी राजेश कनेसर को दी। सूचना पर राजेश कनेसर तुरन्त मौके पर पहुंचे और राष्ट्रीय पक्षी मोर का प्राथमिक उपचार किया । घायल मोर की सूचना जिला वन विभाग को दी। सूचना पर वन कर्मचारी गौरीशंकर यादव मौके पर पहुंचे और इलाज के लिए घायल मोर को निवाई लेकर आए।

FORM NO. 14 [See Regulation 33(2)]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - JAIPUR

1st Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Centre, Tonk Road, Jaipur-302015

Disptch No. DRT/JP/2809 Date : 09.06.2022

R.C. No. 75/2021 Next Date : 04.08.2022

STATE BANK OF INDIA ......Certificate Holder

Versus

M/S RINA FASHION ......Certificate Debtor

DEMAND NOTICE

To,

1. M/S RINA FASHION, Ram Nagar, Toll Tax, Tonk Road, Jaipur (Rajasthan), through Proprietor Smt. Rina Devi W/o Shri Suresh Sharma.
2. SMT RINA DEVI W/o Shri Suresh Sharma, R/o 98-A, Shatabdi Nagar, India Gate, Sitapura, Tonk Road, Jaipur (Raj.)

In view of the Recovery Certificate issued in **O.A. No. 218/2018** passed by the Presiding Officer, DRT, Jaipur for an amount of **Rs. 17,50,153/- (Seventeen Lacs Fifty Thousand One Hundred Fifty Three Only)** and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you.

1. You are hereby called upon to deposit the above sum within 15 days of the receipt of the notice, failing which the recovery shall be made as per rules.
2. You are, hereby ordered to appear before the undersigned on **04.08.2022 at 11: 00 AM.**
3. In addition to the sum aforesaid you will be liable to pay " **(a)** Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the execution proceedings. **(b)** All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and others process that may be taken for recovering the amount due.

DETAILS OF THE AMOUNT IN THE RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST YOU

1.	Recovery Certificate Amount	Rs. 17,50,153/-
2.	Cost of Suit	Rs. 21,341/-
3.	Interest from 05.02.2018 to 20.07.2021 @ 10% p.a.	Rs. 6,05,121/-
4.	Less Amount Recovered before RC issued	Rs. NIL
5.	Total Dues	Rs. 23,76,615/-

(Seal) Recovery Officer-I
Debts Recovery Tribunal, Jaipur

FORM NO. 03 [See Regulation-15 (1) (a) / 16 (3)]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR

1st Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Centre, Tonk Road, Jaipur- 302015

2847
14/6/22 Case No. : OA/211/2022

Summons under sub-section (4) of section 19 of Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Exh. No. 5597

STATE BANK OF INDIA
VS
MR ANISH THOMAS

To,

1. MR ANISH THOMAS D/W/S/O - MR CHAKALAMOTHA LONA THOMAS, FLAT NO. 404, MAHIMA PANORAMA, JAGATPURA Jaipur, RAJASTHAN
2. M/S SHIV SHAKTI REAL HOMES PVT. LTD. 501-503, DIAMOND TOWER, NEAR PURANI CHUNGI, AJMER ROAD JAIPUR, RAJASTHAN-302019

SUMMONS

WHEREAS, **OA/211/2022** was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on **07.06.2022.**

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons / notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 4443718/-** (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :- **(i)** to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; **(ii)** to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; **(iii)** you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; **(iv)** you shall not transfer by way of sale, lease of otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; **(v)** you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and apear before **Registrar** on **28.09.2022 at 10:30 AM** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 14.06.2022.

(Seal) REGISTRAR
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR

शिक्षकों व विद्यार्थियों का सम्मान किया

मंडावरी, (निसं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महारिया में शिक्षा सत्र 2022-23 के प्रथम कार्यदिवस को संस्था प्रधान कैलाश चंद मीना ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 में शत् प्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षकों, टेस्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओ को माला पहना कर सम्मानित किया गया।

वहीं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा राजकीय विद्यालयों में विभिन्न उच्चतम सुविधाओं का अभाव होने के बाद भी छात्र-छात्राओं द्वारा लगन से पढते हुए एवं अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं को अभाव के समय मे भी श्रेष्ठ तरीके से शिक्षा देकर उनके परिणाम प्रतिशत को बढाने को लेकर धन्यवाद व्यक्त किया.. वही साथ ही उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में अदनान खान ने 90.60 एवं माध्यमिक परीक्षा में शुभम शर्मा ने 92.33 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय का उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत एवं माध्यमिक परीक्षा परिणाम 91 प्रतिशत रहा है। इस अवसर पर व्याख्याता कमलेश गौतम, सहित सभी विद्यालय कार्मिक उपस्थित रहे।

एकादशी पर शरबत पिलाया

श्रीमाधोपुर। योगिनी एकादशी पर रेलवे स्टेशन पर भीषण गर्मी में विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राहगीरों व यात्रियों को मनुहार कर शरबत पिलाया। इस दौरान विभाग संयोजक बजरंग दल मोनू बजरंगी, विश्व हिन्दू परिषद जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा, सिद्दार्थ जांगिड,पवन गोठवाल, सतीश खूंटेटा आदि ने सेवा दी।

अनिता ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

लालसोट, (निसं)। उपखंड मुख्यालय की रहने वाली फैशन जगत में उभरती अनिता जैन को टैली सॉल्यूशन के एमएसएमई हॉनर के द्वितीय अवाड्र्स के वंडर वुमन कैटेगरी में चुनी गई है।

एमएसएमई हॉनर की वंडर वुमन कैटेगरी में अनिता ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कायम करती हुई महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी मिसाल छोडी है। शुक्रवार को इंटरनेशनल एमएसएमई दिवस पर दिल्ली के एक होटल में आयोजित समारोह में एमएसएमई बिजिनेस फोरम के डायरेक्टर रवि नंदन सिन्हा और महिला उधमियों के लिये कार्य करने वाली संस्था वुमेनोवटर की सीईओ और फाउंडर तृप्ति सिंघल ने अनिता जैन को यह अवार्ड दिया। वंडरवुमन केटेगरी में उन महिला उद्यिमयों को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने विभिन्न बाधाओं को पार कर स्वयं का एक सफल व्यवसाय बनाया है और वे महिलायें व्यापारिक समुदाय के लिए एक आदर्श हैं। टैली सॉल्यूशन ने सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सेक्टर में पांच कैटेगरी में अवाड्र्स के लिये ऑनलाइन प्रविष्टियों को आमंत्रित किया था, जिसमें सम्पूर्ण देश से ग्यारह हजार पाच सौ प्रविष्टि प्राप्त हुई जिसमें से अनिता जैन को अवाड्र्स की 5 कैटेगरी में एमएसएमई हॉनर वंडर वुमन अवार्ड मिला।

■ एमएसएमई हॉनर वंडर वुमन अवार्ड मिला

लालसोट की रहने वाली महिला उद्यमी अनीता जैन को राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई ऑनर वंडर वुमन अवार्ड मिला।

युवा 'अग्निपथ' योजना के विरोध प्रदर्शन में भाग लें'

दौसा, (निसं)। राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा ने युवाओं से आव्हान किया कि वे अग्निपथ योजना को लेकर 27 जून को आयोजित विरोध, प्रदर्शन में भाग लेकर इसका मुखर विरोध करें तथा केन्द्र सरकार को अपनी ताकत का अहसास करायें।

राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि अग्निपथ योजना बेरोजगारों के भविष्य व भारतीय सेना की परंपरा के साथ खिलवाड है। योजना के तहत एक युवा अपनी पढाई छोड़ कर सेना में शामिल होगा और 4 साल के बाद ही युवा रिटायर पर्सन कहलाने लग जाएगा। उसका भविष्य क्या रहेगा, क्या सेना के लिए स्थाई भर्तियों का कोटा 4 साल के कांटेक्ट भर्ती योजना से ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में 10 हफ्ते से 6 महीने तक की बेसिक ट्रेनिंग का ही प्रावधान है। जबकि आर्मी का ट्रेंड जवान बनने के लिए कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं। सेना में हथियार टैंक, आटिलरी और मिसाइल यूनिट्स के साथ-साथ कई तकनीकी चीजों को सीखने में लंबा समय लगता है। ऐसे में 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में युवा कैसे प्रशिक्षित होगा, ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा में वह कैसे भागीदार बन सकता है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी 30 हजार से ज्यादा है, ऐसे में 4 साल के ठेके पर भर्ती होने वाले इन युवाओं का वेतन इससे भी कम क्यों। उन्होंने बताया कि नेवी और एयरफोर्स के लिए स्पेशलिस्ट काडर वाले लोगों की जरूरत होती है यही वजह है कि इनकी ट्रेनिंग भी लंबी चलती है।

नाबालिक से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

बौंली, (निसं)। सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त परिवाद के आधार पर बौंली पुलिस ने नाबालिक से दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ करने के आरोपी को गिरफ्तार कर सवाई माधोपुर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया जहां से न्यायालय ने आरोपी को 1 दिन के पीसी रिमांड पर बौंली पुलिस के सुपुर्द किया है। बौंली सर्किल इंस्पेक्टर श्रीकिशन मीणा ने बताया कि एसपी के यहां से प्राप्त परिवाद के आधार 26 मई 2022 को प्राथमिकता दर्ज कर जांच शुरू की गई। परिवाद में नाबालिग पीडिता ने बताया कि वह कक्षा नौ की छात्रा है आरोपी मनराज उसे जबरदस्ती ब्लैकमेल कर छेडछाड करता एवं दुष्कर्म करता था। कई बार इसने सोशल मीडिया पर भी फोटो व अन्य चीजें डालने की धमकी दी।

शहीद के पुत्र को कैजुअल्टी प्रमाण पत्र सौंपा

श्रीमाधोपुर, (निसं)। एसडीएम कार्यालय में शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारी ने शहीद के परिजन को ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण पत्र सौंपा और वीरगति को प्राप्त हुए जवान की शहादत को नमन करते हुए 2 मिनट का मौन धारण रखा।

सीमा सुरक्षा बल ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर सपूत को ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण पत्र प्रदान किया। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली पंकज कुमार सिंह और कमांडेंट जे.एस.संधू के निर्देश के बाद डिप्टी कमांडेंट जेएस पठान ने शुक्रवार को बीएसएफ के जवान शीशराम निवासी कैरवाली, नीमकाथाना के पुत्र नरेश कुमार को ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शहीद के पुत्र नरेश वर्तमान में उपखंड कार्यालय श्रीमाधोपुर में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात है। डिप्टी कमांडेंट पठान ने शहीद के पुत्र को बीएसएफ की ओर शहीद के परिजनों को दी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी और बीएसएफ परिवार की तरफ से सदैव सुख दुख में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया।

जानकारी के अनुसार सीमा सुरक्षा की 37 वीं बटालियन मणिपुर में नीमकाथना निवासी शीशराम तैनात थे। 1 दिसंबर 2000 को 37 वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के खोंगखांग मैं तैनात आर.ओ.पी.पार्टी पर एन एच 39 के लखचौं और खोंगखांग के बीच 50-60 भूमिगत उग्रवादियों द्वारा अम्बुश लगाकर भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू कर दी। इस बीच आर.ओ.पी. पार्टी और भूमिगत उग्रवादियों के बीच 10 से 15 मिनट तक चली गोलीबारी में जवान शीशराम वीरगति को प्राप्त हो गए। इस दौरान पार्षद राकेश ढोला ,सहायक प्रशासनिक अधिकारी राकेश कुलदीप, सूचना सहायक हेमंत कुमार,लक्ष्मण राम सहित अन्य उपखंड कार्यालय के कार्मिक एवं डिप्टी कमांडेंट के साथ आए अन्य जवान भी मौजूद रहे।

बीएसएफ के अधिकारी ने शहीद के परिजन को ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण पत्र सौंपा।

महात्मा गांधी दर्शन सदस्य दल रवाना

निवाई। उपखंड अधिकारी कार्यालय पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी त्रिलोकचन्द मीणा, समिति के संयोजक महावीरप्रासाद पराना व सहसंयोजक एडवोकेट बनवारीलाल यादव ने हरी झण्डी दिखाकर अजमेर संभाग के लिए रवाना किया। पराना ने बताया कि 25 से 27 जून को नागौर, भीलवाडा व अजमेर संभाग में महात्मा गांधी दर्शन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। जिसमें सभी सदस्यों को महात्मा गांधी के जीवन व उनके सिद्धान्तों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सहसंयोजक एडवोकेट बनवारीलाल यादव ने बताया कि महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा की जा रही हैं। इस अवसर पर समिति के सदस्य दिनेश गिन्दोडी, मोहम्मद सलीम सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

भाजपा का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आज

दौसा, (निसं)। भारतीय जनता पार्टी जिला दौसा के तत्वावधान में 25 जून को प्रात 10 बजे संत सुन्दरदास स्मारक पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया जावेगा। जिसमें आपातकाल के समय जेल जाने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जावेगा। सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग सहित अनेक नेता शामिल होगें। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि 25 जनू को दौसा जिला मुख्यालय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसमें आपातकाल के समय जेल जाने वाले सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा सांसद जसकौर मीणा, राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा, रामकुमार वर्मा, जिला प्रभारी शैलेंद्र भार्गव, सह प्रभारी मोहन मोरवाल, पूर्व विधायक व पदाधिकारी, जिले के प्रबुद्धजन भाग लेंगे।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम संख्या -3 जयपुर महानगर, द्वितीय

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ... विरूद्ध

मैसर्स नीलम एन्टरप्राईजेस एण्ड ऑटो पार्टस

वाद बाबत बसूली वाद सं. 89/2020 CIS-124/2020

बनाम मैसर्स नीलम एन्टरप्राईजेस एण्ड ऑटो पार्टस जरिए प्रोप्रायटर सुनिल कुमार शर्मा पुत्र ब्रिज मोहन- 89, ब्राम्हणो का मोहल्ला, ग्राम एवं पोस्ट खोरा बिसल, वाया झोटवाडा, जयपुर- 302012

सुनिल कुमार शर्मा पुत्र ब्रिज मोहन प्रोप्रायटर मैसर्स नीलम एन्टरप्राईजेस एण्ड ऑटो पार्टस- 89, ब्राम्हणो का मोहल्ला, ग्राम एवं पोस्ट खोरा बिसल, वाया झोटवाडा, जयपुर - 302012

वादी ने आपके विरूद्व वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 20 माह 07 सन् 2022 को दिन में 10:00 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्षय दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा,या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर ,चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 09 माह 06 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

(मुहर) समक्ष वाणिज्य न्यायालय, क्रम संख्या -3 जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम संख्या -3 जयपुर महानगर, द्वितीय

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ... विरूद्ध

मैसर्स लक्ष्मीदीप परिधान एण्ड बुटिक

वाद बाबत बसूली

वाद सं. 91/19 CIS-540/2019

बनाम मेसर्स लक्ष्मीदीप परिधान एण्ड बुटिक प्रोप. ममता कंवर पुत्री देवी सिंग शेखावत, शॉप नं. 3, बैरिया, हरनाथपुरा, रावण गेट, झोटवाड़ा, जयपुर

श्रीमती ममता कंवर पुत्री देवी सिंग शेखावत , निवासी 22, शान्ति नगर, कलवाड रोड, झोटवाड़ा, जयपुर

वादी ने आपके विरूद्व वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 05 माह 07 सन् 2022 को दिन में 10:00 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्षय दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा,या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर ,चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 09 माह 06 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

(मुहर) समक्ष वाणिज्य न्यायालय, क्रम संख्या -3 जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

समक्ष वाणिज्य न्यायालय, क्रम संख्या -4 वन भवन वानिकी पथ जयपुर महानगर, द्वितीय

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ... विरूद्ध

मैसर्स मानसी स्टील फेब्रिकेशन

वाद बाबत बसूली वाद सं. 107/2019

बनाम मेसर्स मानसी स्टील फेब्रिकेशन प्रोपरायटर लाल चन्द सैनी पुत्र सोहन लाल सैनी, शॉप/ ऑफिस - 103 , तिरुपति विहार-6, बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर-302012

लाल चन्द सैनी पुत्र सोहन लाल सैनी , निवासी-प्लॉट नं. 47, विवेकानंद नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर-302012

वादी ने आपके विरूद्व वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 07 सन् 2022 को दिन में 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्षय दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा,या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर ,चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 28 माह 05 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

(मुहर) समक्ष वाणिज्य न्यायालय, क्रम संख्या -4 जयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत श्योपुर पंचायत समिति मुण्डावर (अलवर)

क्रमांक-SPL-1 **निविदा सूचना** दिनांक-20.06.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रय की जाने वाली निर्माण सामग्री हेतु राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत ठेकेदार एवं पी.डब्लू.डी.एवं यू.आई.टी. में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से ग्राम पंचायत स्तर पर सीलबन्द निविदाएं निम्नांकित कार्यक्रम अनुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	अनु.राशि (लाखों में)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म राशि
1	निर्माण सामग्री आपूर्ति वित्तीय वर्ष-2022-23 महानरेगा अन्य योजनाएं	30.6.2022 11.00 AM	30.6.2022 2.00 PM	30.6.2022 3.00 PM	9.90	19800/-	200/-

निविदा की शर्ते-
1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार की जायेगी। जो निर्धारित दिनांक व समय तक निविदा शुल्क रुपये 200/ नकद जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है तथा अमानत राशि डीडी/चैक/नकद द्वारा स्वीकार की जावेगी।
2. निविदायें संबंधित ग्राम पंचायत मे विक्रय की जाकर प्राप्त की जा सकती है।
3. सभी दरें रायल्टी, आयकर, जीएसटी आदि सहित प्रस्तुत की जावेगी।
4. गठित क्रय समिति द्वारा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. अन्य शर्ते ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पढ़ी जा सकती है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत श्योपुर, पं.सं. मुण्डावर (अलवर) — NIB NO.: ZAL2223A0381, UBN NO.: ZAL2223GSLB00573 — सरपंच, ग्राम पंचायत श्योपुर, पं.सं. मुण्डावर (अलवर)

कार्यालय ग्राम पंचायत श्योपुर पंचायत समिति मुण्डावर (अलवर)

क्रमांक-SP-02 **निविदा सूचना** दिनांक-20.06.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रय की जाने वाली निर्माण सामग्री हेतु राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत ठेकेदार एवं पी.डब्लू.डी.एवं यू.आई.टी. में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से ग्राम पंचायत स्तर पर सीलबन्द निविदाएं निम्नांकित कार्यक्रम अनुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	अनु.राशि (लाखों में)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म राशि
1	ग्राम पंचायत श्योपुर के ग्राम रैनागिरी में थ्री फैस बोरिंग कार्य	30.6.2022 11.00 AM	30.6.2022 2.00 PM	30.6.2022 3.00 PM	7.5	15000/-	200/-

निविदा की शर्ते-
1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार की जायेगी। जो निर्धारित दिनांक व समय तक निविदा शुल्क रुपये 200/ नकद जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है तथा अमानत राशि डीडी/चैक/नकद द्वारा स्वीकार की जावेगी।
2. निविदायें संबंधित ग्राम पंचायत मे विक्रय की जाकर प्राप्त की जा सकती है।
3. सभी दरें रायल्टी, आयकर, जीएसटी आदि सहित प्रस्तुत की जावेगी।
4. गठित क्रय समिति द्वारा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. अन्य शर्ते ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पढ़ी जा सकती है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत श्योपुर, पं.सं. मुण्डावर (अलवर) — NIB NO.: ZAL2223A0383, UBN NO.: ZAL2223GSLB00575 — सरपंच, ग्राम पंचायत श्योपुर, पं.सं. मुण्डावर (अलवर)

कार्यालय ग्राम पंचायत श्योपुर पंचायत समिति मुण्डावर (अलवर)

क्रमांक-SPL-3 **निविदा सूचना** दिनांक-20.06.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रय की जाने वाली निर्माण सामग्री हेतु राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत ठेकेदार एवं पी.डब्लू.डी.एवं यू.आई.टी. में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से ग्राम पंचायत स्तर पर सीलबन्द निविदाएं निम्नांकित कार्यक्रम अनुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	अनु.राशि (लाखों में)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म राशि
1	ग्राम पंचायत श्योपुर के ग्राम शीतलपुर में सिंगल फैस बोरिंग कार्य	30.6.2022 11.00 AM	30.6.2022 2.00 PM	30.6.2022 3.00 PM	7.5	15000/-	200/-

निविदा की शर्ते-
1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार की जायेगी। जो निर्धारित दिनांक व समय तक निविदा शुल्क रुपये 200/ नकद जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है तथा अमानत राशि डीडी/चैक/नकद द्वारा स्वीकार की जावेगी।
2. निविदायें संबंधित ग्राम पंचायत मे विक्रय की जाकर प्राप्त की जा सकती है।
3. सभी दरें रायल्टी, आयकर, जीएसटी आदि सहित प्रस्तुत की जावेगी।
4. गठित क्रय समिति द्वारा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. अन्य शर्ते ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पढ़ी जा सकती है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत श्योपुर, पं.सं. मुण्डावर (अलवर) — NIB NO.: ZAL2223A0382, UBN NO.: ZAL2223GSLB00574 — सरपंच, ग्राम पंचायत श्योपुर, पं.सं. मुण्डावर (अलवर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बडली पंचायत समिति मुण्डावर (अलवर) राज.

क्रमांक-ग्रा.प.बडली **अल्पकालीन निविदा सूचना सं. 2022-23** दिनांक-20/6/2022

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न कार्यो हेतु पंचायती राज विभाग/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर निगम एवं राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कमेटी को होगा। यदि कारणवश उसी दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। अमानत राशि ड्राफ्ट/नगद स्वीकार होगी। उक्त निविदा sppp पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	अनु.राशि (लाखों में)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म राशि
1	बोरिंग टंकी मोटर निर्माण कार्य वार्ड नं.4 ग्राम नांगल बावला	27/6/2022 11.00 to 12 PM तक	27/6/2022 10.00 to 2 PM तक	27/6/2022 3 PM तक	5.63	11260/-	200/-
2	बोरिंग मोटर टंकी निर्माण कार्य शमशान घाट के पास बडली	27/6/2022 11.00 to 12 PM तक	27/6/2022 10.00 to 2 PM तक	27/6/2022 3 PM तक	5.63	11260/-	200/-

उक्त कार्यो के दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिल्टी पीरियड) का उत्तरायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात नियमानुसार रहेगा, अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

सरपंच, ग्राम पंचायत बडली, पं. समिति मुण्डावर (अलवर) — NIB N. ZAL2223A0359, UBN N. ZAL2223GLLB00544 — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बडली, पं. समिति मुण्डावर (अलवर)

कार्यालय ग्राम पंचायत गादूवास पंचायत समिति मुण्डावर (अलवर) राज.

क्रमांक-07 **अल्पकालीन निविदा सूचना सं. 2022-23** दिनांक-25/6/2022

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 181 के तहत एवं राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न कार्यो हेतु पंचायती राज विभाग/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर निगम एवं राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कमेटी को होगा। यदि कारणवश उसी दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। अमानत राशि ड्राफ्ट/नगद स्वीकार होगी। उक्त निविदा sppp पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	अनु.राशि (लाखों में)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म राशि
1	ग्राम पंचायत गादुवास के ग्राम दाधिया में सामुदायिक भवन निर्माण व भवन के आँगन में इंटरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	1.7.2022	4.7.2022	4.7.2022	7.0 लाख	14000	200/-
2	इंटरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य शमशान घाट से हनुमान मंदिर की ओर गादली	1.7.2022	4.7.2022	4.7.2022	10.0 लाख	20000	200/-

उक्त कार्यो के दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिल्टी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात नियमानुसार रहेगा, अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

सरपंच, ग्राम पंचायत गादूवास, पं. समिति मुण्डावर (अलवर) — NIB N. ZAL2223A0384, UBN N. ZAL2223GLLB00576 — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गादूवास, पं. समिति मुण्डावर (अलवर)

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं . दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर -15)

(राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)

क्रमांक-एफ-6() उपा.राज.-द्वितीय (सा.प्र.)/ननिज/2022/1097 दिनांक-21.6.2022

सार्वजनिक सूचना मूल भूखण्ड संख्या 577, राजापार्क, जयपुर का दी पंजाबी को- ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जयपुर द्वारा श्री अमर सिंह के नाम से क्षेत्रफल 488.85 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 577, राजापार्क, जयपुर क्षेत्रफल 488.85 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया। श्री सरदार अमर सिंह व उनकी पत्नी श्रीमती भजन कौर की मृत्यु उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर द्वारा श्री हजारा सिंह जुनेजा पुत्र स्व.श्री अमर सिंह के पक्ष में क्षेत्रफल 488.85 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षतरर्का के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय) नगर निगम ग्रेटर जयपुर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालय: शिवदासपुरा, जयपुर, राजस्थान
ई-मेल : shivda@bankofbaroda.com

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **श्री आदित्य खंडेलवाल पुत्र श्री सुरेश गुप्ता एवं श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री सुरेश गुप्ता एवं जमानतदार श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री रामकिशोर गुप्ता व श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री रामकिशोर गुप्ता** पर मांग सूचना दिनांक **08.04.2022** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि रू. 3,62,12,104.10 (रूपये तीन करोड़ बासठ लाख बारह हजार एक सौ चार एवं पैसे दस मात्र) दिनांक 15.03.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्द्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 20, माह जून, वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि रू. 3,62,12,104.10 (रूपये तीन करोड़ बासठ लाख बारह हजार एक सौ चार एवं पैसे दस मात्र) दिनांक 15.03.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, शिवदासपुरा शाखा, जयपुर, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री सुरेश गुप्ता के नाम साम्यिक बंधक मकान नं. पी-128 (पी-22) मिश्रा राजा जी का रास्ता, चौकड़ी तोपखाना देश, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 534.94 वर्ग मीटर है। सीमाएं- उत्तर: खुला चौक एवं गांधी पार्क, दक्षिण: टीकडमल का रास्ता, पूर्व: गली एवं श्री राजेन्द्र कुमार दलाल का मकान, पश्चिम: मिश्रा राजा जी का रास्ता

हस्ता.

स्थान: जयपुर — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 20.06.2022 — बैंक ऑफ बड़ौदा

कार्यालय नगर पालिका लालसोट (जयपुर)

Email ID : lalsot.jaipur@yahoo.com, Ph-01431-260714

प्रारूप-13 (नियम-13 (2) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

क्रमांक-न.पा.ला./1702 **लोक सूचना** दिनांक-24/6/2022

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि नगर पालिका क्षैत्र, लालसोट के निम्न खसरा नम्बरों में स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से बाद की कालावधि से गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/ किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उपधारा (8) के अधीन पर्यवसित किए जाने के दायी है।

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	राजस्व ग्राम	90-क हेतु प्रस्तावित रकबा	खातेदार का विवरण
1	1404	10 बिस्वा	लालसोट	सम्पूर्ण	कजोड नारायण पि.प्रभुलाल, कौम ब्राह्मण
2	1364	1.14 बीघा		सम्पूर्ण	सन्तोष देवी पत्नी रामप्रसाद शर्मा डिडवाना, बिरदया पुत्र हुकमा गुर्जर अरण्याकंला, हंसराज पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा, गिरधर पुत्र नानगराम पुराका, शिमला देवी पत्नी दिनेश कुमार शर्मा डिडवाना, नानगा पुत्र हटया माली

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिवस के भीतर-भीतर कारण बताएं कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाए और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्ति निहित किया जा सके। यह सूचना में हस्ताक्षर और मुहर के अधीन 24.6.2022 को जारी की जाती है।

स्थान-लालसोट

नोट-संबंधित खातेदार इस लोक सूचा को व्यक्तिगत तामील भी समझें व कोई आपत्ति हो, तो 7 दिवस में प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर पालिका लालसोट में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

प्राधिकृत, अधिकारी
नगर पालिका लालसोट